

विषय :- दानापुर मंडल के जहानाबाद स्टेशन पर शंटिंग के दौरान समपार फाटक पर लोड का सड़क वाहन (हाईवा) से टकराना ।

दिनांक 03.11.2023 को जहानाबाद स्टेशन पर EC/JHD का लोड डाउन मेन लाइन में 17:45 बजे आया, जिसका गुड्स लाइन में प्लेसमेंट के लिए 20:10 बजे से शंटिंग प्रारंभ किया गया । शंटिंग के दौरान लोड को डाउन लाइन से ब्रॉस कर अप लाइन में नदील की ओर ले जाकर गुड्स लाइन सं 02 में 10 वैगनों का प्लेसमेंट 20:50 बजे करने के बाद शेष 19 वैगनों को लेकर अप लाइन में नदील की ओर समपार फाटक सं 27/C/T को बंद स्थिति में पार कराया गया । जब दुबारा EC/JHD लोड को अप लाइन से गुड्स लाइन सं 01 में बैक किया जा रहा था उस समय समपार फाटक सं 27/C/T का बंद होना सुनिश्चित किये बिना ही लोड को बैक किया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप समपार फाटक पर EC/JHD का लोड सड़क वाहन (हाईवा) से टकरा गया और सड़क वाहन (हाईवा) अप लाइन को बाधित करता हुआ ट्रैक के पास ही पलट गया जिसके कारण समपार फाटक का पूर्वी छोर का स्लाडिंग बूम फाउंडेशन एवं बुम रेस्ट फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हो गया और 8 गाड़ियां विलंबित हुई ।

घटना स्थल का निरीक्षण एवं सभी कार्यरत कर्मचारियों से वार्ता के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को बोलकर गेट बंद करवा दिया गया, परन्तु स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल से गेट को लॉक करना सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके कारण गेटमैन द्वारा गेट लॉक फ्री की अवस्था में पाए जाने के कारण उसे सड़क यातायात हेतु, यह सुनिश्चित किये बिना कि शंटिंग कार्य जारी है, खोल दिया गया । पूर्व के डाटा लॉगर के रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि पूर्व में भी गेट को स्टेशन मास्टर के द्वारा पैनल पर लॉकिंग किये बिना ही शंटिंग कार्य किया गया था ।

घटना का प्रथम दृष्टया कारण :- कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार फाटक बंद कराने के बाद भी पैनल पर गेट को लॉक किये बिना ही शंटिंग किया जाना तथा गेटमैन द्वारा, यह सुनिश्चित किये बिना कि शंटिंग कार्य जारी है, गेट को खोल दिया जाना ।

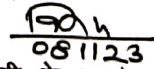
घटना के उपरान्त मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए स्टेशन अधीक्षक, कार्यरत स्टेशन मास्टर, गार्ड एवं गेटमैन को निलंबित कर दिया गया ।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए :-

1. शंटिंग प्रारंभ करने से पूर्व सभी आवश्यक समपार फाटकों को बंद कर पैनल से लॉक किया जाना सुनिश्चित करे ताकि गेटमैन किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोल सके ।
2. जिन स्टेशनों पर शंट सिगनल का प्रावधान नहीं है अथवा शंट सिगनल खराब है वहाँ शंटिंग प्रारंभ करने से पहले सुनिश्चित करे कि अंतर्पाशित समपार फाटक बंद कर पैनल से भी लॉक कर दिया गया है ।

वैसे स्टेशन जहाँ पर शंट सिगनल का प्रावधान नहीं है और शंटिंग का कार्य अक्सर किया जाता है, उन स्टेशनों को चिन्हित कर शंट सिगनल की व्यवस्था के लिए मंडलों द्वारा उचित कार्यवाही की जाय ।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से संबंधित समस्त कर्मचारियों को इसे बताया जाए तथा ऐसे सभी स्टेशनों पर जाँच की जाए कि शंटिंग के दौरान ऐसे शार्ट-कट (Short-Cut) को नहीं किए जाते हैं और उनके द्वारा नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाता है।


08/11/23
(बी. के. दास)

मुख्य परिचालन प्रबन्धक/सामान्य

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

दिनांक 08.11.2023

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे , हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूमरे , हाजीपुर को सादर सूचनार्थ हेतु ।
3. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ हेतु।
4. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।